कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार
कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार।

संयुक्त कृषि भवन, प्रथम तल, कीनामाड़, लातेहार–829206

लातेहार जिला अन्तर्गत लातेहार एवं महुआडाड़ अनुमण्डल में एग्री क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन हेतु अल्पकालिन इच्छा की अभिव्यक्ति का Bid Document

लातेहार जिला में किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करने हेतु एग्री क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य से अनुभवी एवं इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वंय सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियां/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) से दिनांक 23.07.2025 के अपराह्न 5:00 बजे तक इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना के कियान्वयन हेतु ई–मोबाईल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाऐंगे। इसके पश्चात् जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहुंचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाईल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा– मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएं एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

1. एग्री क्लीनिक का संचालन–

एग्री क्लीनिक की स्थापना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन सेंटर (ATIC) भवन में प्रस्तावित है। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35X9 फीट का एक बरामदा, 20X15 फीट का एक, 12X10 फीट के और दो, 15X10 फीट के कमरों के साथ शौचालय तथा 10X10 फीट का एक जेनेरेटर कमरा है। उक्त भवन में एग्री क्लीनिक के लिए विभिन्न कमरे निम्न अंकित ले–आउट के अनुसार कार्य करेंगे। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

- बरामदा – कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था
- कमरा नं0–1 – एग्री क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, कम्प्यूटर रूम
- कमरा नं0–2 – एग्री क्लीनिक, कम्प्यूटर रूम
- कमरा नं0–3 – मिनी स्वाईल टेस्टींग लैब
- कमरा नं0–4 – कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी का कमरा
- कमरा नं0–5 – स्टोर रूम

2. एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाऐं–

एग्री क्लीनिक में कृषकों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस से संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी। एग्री क्लीनिक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं प्रक्रिया के संबंध में एग्री क्लीनिक के भवन के बाहर सुस्पष्ट रूप में सूचना अंकित की जायेगी। यह सूचना दीवार लेखन/ बोर्ड पर प्रदर्षित की जायेगी। एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी। एग्री क्लीनिक में इंटरनेट कनेक्टीविटी उपलब्ध रहेगी।

3. एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणाली–

एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध कराएगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराह्न तक होगी। रविवार एवं N.I. Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बंद रहेगा। कृषको के आगमन के उपरांत उनके आवश्यकता के अनुरूप आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त आवेदन एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात् पावती रसीद कृषकों को दी जाएगी एवं एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी वर्णित विवरणी के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर संधारण किया जाएगा, जिसमें एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों की पूरी जानकारी, उद्देश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

4. दल की सरंचना–

एग्री क्लीनिक के अंतर्गत समूह/संस्था द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें कुल तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कर्मी की न्यूनतम योगयता B.sc (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि सरंक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

5. मासिक प्रगति प्रतिवेदन–

एग्री क्लीनिकों के परिचालन का कार्य सुचारू रूप से करते हुए निर्धारित कार्यसूची पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक) को देना होगा। प्रतिमाह व्यय प्रतिवेदन एवं विपत्र भी उपस्थापित करना होगा।

6. वित्तीय प्रावधान–

एग्री क्लीनिक संचालन हेतु रू0 7.00 लाख प्रति वर्ष प्रति एग्री क्लीनिक की दर से देय होगा।

7. एग्री क्लीनिक के कार्य–

- कृषकों के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित के0सी0सी0 आवेदन के जांचोपरांत नजदीकी बैंक शाखा को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाएगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जाएगी।
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा सूक्ष्म सिचाई प्रणाली का आवेदन भरा जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर एस.एम.एस के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- कृषकों के मांग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।
- कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएं/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएं/ प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएं/ विभिन्न कृषि मेला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएं कृषकों को उपलब्ध कराना/ जागरूक करना।
- पशुपालन /डेयरी/ मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/ अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर कृषक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- e-Nam में पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस के माध्यम से सामयिक कृषि मौसम, फसल मंडी भाव एवं कीटव्याधि आदि की सूचना देना भी कार्यकारी एजेंसियो का दायित्व होगा। इस कार्य हेतु वे विपणन सचिव से समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर लेंगे।

8. चयन हेतु पात्रता–

इच्छुक एजेंसी/संस्था/महिला समूह/स्वंय सहायता समूह/कृषक समूह/ सहकारी समितियां/ गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) का चयन उनके पूर्व के कार्य अनुभव, मानव बल तथा एग्री क्लीनिक/सेन्टर चलाने के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा, जिसके समर्थन में समस्त प्रासंगिक अभिप्रमाणित कागजात समर्पित किए जाने आवश्यक है:

- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह का एग्री क्लीनिक के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह का विगत तीन वर्षो (वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम पांच लाख होना अपेक्षित है, जिस क्रम में प्रस्ताव के साथ अंकेक्षित बैलेंस शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह के नाम से जी0एस0टी0 नं0 एवं पैन नं0 होना अनिवार्य है।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह किसी भी सरकार/संगठन के द्वारा काली सूची में दर्ज न हो। इस आशय का शपथपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक एजेन्सी/संस्था/समूह द्वारा किए गए कार्य योजना PPT के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- एग्री क्लीनिक के संचालन हेतु चयनित एजेंसी में से प्रथम एवं द्वितीय अंक प्राप्त एजेंसी को 01–01 एग्री क्लीनीक आवंटित किया जायेगा।

9. अनुबंध की अवधि–

- चयनित संस्था के साथ प्रथमतः अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी।
- अनुबंध अवधि का विस्तार संस्था की उपलब्धि की समीक्षा के आधार पर तथा विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वार्षिक विस्तारण के आधार पर किया जाएगा।

10. इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक निदेश–

- तकनीकी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से सीलबंद लिफाफे में समर्पित किये जाऐंगे। लिफाफे के उपर '**तकनीकी बिड**' अंकित कर उसे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर जमा किया जाएगा।
- आवश्यक कागजातों/दस्तावेजों के बगैर प्राप्त तथा आधे–अधूरे प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाऐंगे।

- गठित समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताए प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत/अंशतः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव दिनांक 23.07.2025 के अपराह्न 5:00 बजे तक कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी, संयुक्त कृषि भवन, प्रथम तल, कीनामाड़, लातेहार में कूरियर /रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/ हाथों–हाथ जमा कराया जा सकता है। उपलब्ध प्रस्ताव को खोले जाने की पूर्व सूचना आप सभी को दे दिया जाएगा।
- प्रस्ताव खोलने के समय समूह/संस्था अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- गठित समति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- आवेदक संस्था के द्वारा अनुमण्ड कृषि पदाधिकारी (सामान्य), लातेहार के नाम से रू0 2,500 (दो हजार पांच सौ रूपया) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा
- आधे–अधूरे तथा नियत समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को प्रथम दृश्टया अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- इच्छुक एजेंसी/संस्था/समूह इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित दस्तावेज कार्यालय अवधि में जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा परियोजना निदेशक आत्मा, लातेहार के वेबसाईट www.atmalatehar.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार (झारखण्ड) के ई–मेल latehardao@rediffmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

11. मूल्यांकन मापदंड–

क्र0	मानक	अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
1	कृषि एवं संबंध कार्यों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव	5 अंक (तीन वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए)	15	25
2	एग्री क्लीनिक/सेंटर (झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनित) चलाने का न्यून्तम तीन वर्ष का अुनभव	5 अंक (तीन वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए)	–	05
3	वार्षिक टर्न ओवर	5 अंक प्रत्येक पांच लाख पर (न्यूनतम पांच लाख के बाद)	15	25
4	झारखण्ड में कार्यालय		05	05
5	Power Point प्रस्तुतीकरण (एग्री क्लीनिक संचालन के संदर्भ में)		15	40
कुल			50	100

12. Earnesh Money Deposit (EMD)-

चयनित एजेंसी/संस्था/समूह को EMD के रूप में 30000/– (तीस हजार रूपये) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा। यह राशि अनुबंध खत्म होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी।

13. EMD की जब्ती–

चयनित एजेंसी/संस्था/समूह की EMD निम्नलिखित स्थिति में जब्त कर ली जाएगी।

- चयनित संस्था के द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर।
- चयनित संस्था के द्वारा काम छोड़ने पर।
- चयनित संस्था के द्वारा सरकारी भवन तथा यंत्र नष्ट करने पर।

11/7/25

जिला कृषि पदाधिकारी,
लातेहार।